पीठासीन अधिकारी – श्री सुरेश चौधरी
(आर.ए.एस)

1. धनप्यारी पत्नि श्री कल्याण सहाय मीणा
2. कल्याण सहाय पुत्र श्री बरदीलाल मीणा
निवासीयान--ग्राम सींगवाना, तह0 आमेर जिला जयपुर
हाल निवासी-- 17 / 5 राजपुर रोड, सिविल लाईन्स, दिल्ली

.............वादीगण

बनाम

1. रामलाल | पुत्रान छीतरमल
2. महावीर |
3. रोहिताश |
4. चूनणी देवी पत्नि छीतरमल
5. रामपाल पुत्र पांच्या (मृतक)
5/1. कैलाश | पुत्रान रामपाल
5/2. रोशन |
5/3. कमल |
5/4. कमली पत्नि रामपाल
6. गोपी | पुत्रान पांच्या
7. छोटीलाल |
8. मदन |
9. बद्री |

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम सींगवाना तह0 आमेर
जिला– जयपुर

10. प्रबन्धक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा–चौमू , जिला जयपुर
11. प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक, शाखा दौलतपुरा, तह0 आमेर जिला जयपुर
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
13. उप–पंजीयक आमेर जिला जयपुर

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित– अधिवक्ता वादीगण श्री राजेश रोहिला

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम सींगवाना तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि ख.न. 335,337,339,340,355,356,357,367 कुल किता 8 कुल रकबा 2.93 है. विवादग्रस्त भूमि है। जिसके अन्तर्गत भूमि ख.न. 335,357,367 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 है. में वादी सं. 01 व 02 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार भूमि ख.न. 339,340 में वादी सं. 01 व 02 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 ल0 8 का 8/15 हिस्सा [illegible] व प्रतिवादी सं. 9 का 2/15 हिस्सा तथा अन्य शेष विवादित भूमि ख.न. 337,355 व 356 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है. में वादीगण का सयुक्त 1/2 हिस्सा व वादी सं. 01 व 02 का 1/2 दर हिस्सा 29/72–1/2 दर हिस्सा 29/72 तथा प्रतिवादीगण सं. 01 ल0 04 का 7/72 हिस्सा निहित है। वादीगण ख.न. 335 में [illegible] नं. 339,340 के पश्चिम दिशा में तथा ख.न. 337,355,356 में अपने हिस्से [illegible] काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा भूमि के पूर्व खातेदार श्रीमति [illegible] पत्नि [illegible] मीणा व धन्नी देवी पत्नि भगवानसहाय मीणाा से जरिये रजि0

विक्रय पत्र द्वारा दि0 29.09.14 को क्रय की गई थी। तथा विक्रेतागण द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपने कब्जे अनुसार वादीगण को विक्रय की गई तथा वादीगण विक्रेता द्वारा सम्भलाई गई भूमि पर काबिज काश्त है। पक्षकारान की वादग्रस्त भूमि का कानूनन विभाजन नही हुआ है तथा समस्त पक्षकार वर्णित आराजीयात पर अपने हिस्से व कब्जे अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण वर्णित भूमि का बिना तकासमा कराए विशिष्ठ भूखण्डों के रूप में बेचने पर आमदा है। जबकि वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की अविभाजित सह खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसका विभाजन नही हुआ है।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र व विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति पेश की गई है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के जवाब हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं. 01 ल0 04 द्वारा जवाब वादपत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण सं. 6 ल0 11 के बावजूद नोटिस उपस्थित नही होने पर नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। दौराने उक्त कार्यवाही प्रतिवादी सं. 5 की मृत्यु हो जाने से नियमानुसार विधिवत सुनवाई की जाकर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर तलब किया गया। विधिवत तामिल उपरान्त उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र व काउन्टर क्लेम की नियमित विधिवत प्रक्रिया में वाद के लम्बित रहते हुए वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के विरूद्ध वाद विड्रा किए जाने के तथा प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 द्वारा अपना काउन्टर क्लेम विड्रा किए जाने के प्रस्तुत किया गया। जो स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 विड्रा किए जाने के एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विड्रा किए जाने के आदेश दिए गए। जिससे उक्त पक्षकारान का एक दुसरे के विरूद्ध कोई अनुतोष बाबत विवादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 335,357,367 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 है. व भूमि खसरा न. 337,355,356 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है. के शेष नही रहने से पत्रावली वास्ते बहस बाबत भूमि खसरा नं. 339 व 340 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 है. के तकासमें के नियत की गई। तत्पश्चात वकील वादीगण की बहस बाबत तकासमा विवादित भूमि ख.न. 339 व 340 के सुनी गई। जिसके क्रम में तहसीलदार आमेर को विवादित भूमि आ. ख. न. 339,340 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 है. का बाई मीटस एण्ड बाउन्डस विधिवत व नियमानुसार तकास्मा कर कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार आमेर से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्तागण की बहस कुरेजात रिपोर्ट सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की है। अतः ग्राम सींगवाना तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.नं. 339 व 340 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 है. के संदर्भ में तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है—

ख. नं.	रकबा	वादीगण			प्रतिवादीगण		
		रामप्यारी व कल्याणसहाय			रामपाल,गोपी,छोटीलाल वगैरह		
		खं नं.	रकबा	नक्शे से रकबा	खं नं.	रकबा	नक्शे से रकबा
339	0.48 है.	339/1	0.16 है.	0.1066	339	0.32 है.	0.2134
340	0.48 है.	340/1	0.16 है.	0.1300	340	0.32 है.	0.2600
कुल 2	0.96 है.	कुल 2	0.32 है.	0.2366	2	0.64	0.4734

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तामिल दाखिल दफतर हो।

[illegible]

[illegible]